



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी यामीन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त यामीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा की तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 910/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त यामीन को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री दीपक शर्मा एडीजीसी
जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी रविन्द्रकुमार कोर्ट
पैरोकार

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.11.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 705/25 धारा 191(2)/191(3)/333/324(4)/76/131/110/115(2)/352/351(2) बी.एन.एस. में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 705/25 धारा



191(2)/191(3)/333/324(4)/76/131 /110/115(2)/352/351(2) बी.एन.एस. में वांछित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शफीक पुत्र जमील निवासी मौ० केतीपुरा पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक अपराध श्री रामकुमार कुन्तल थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2- है०का० 494 राहुल कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3- का० 165 संदीप कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.11.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 706/25 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस व 4/25 आयुध अधि० में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार जिसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 छुरी (आलाकत्ल) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24-11-2025
को थाना कोतवाली
बागपत पर वादी
शमशेर पुत्र शमसाद
निवासी प्रकाश बिहार
गली नं० 05 जनपद
लोनी जिला
गाजियाबाद ने लिखित



तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. सारिम उर्फ कटा पुत्र राशिद, 2. कलीम उर्फ कल्लू पुत्र रफीक व एक महिला निवासी मौ० केतीपुरा नई बस्ती कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत के द्वारा एक राय होकर वादी के भाई रियासत उम्र करीब 40 वर्ष के पेट व सीने पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर देना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 706/2025 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान एवं अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढोत्तरी की गई है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 706/2025 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 छुरी (आलाकल्ल) को बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कलीम उर्फ कल्लू पुत्र रफीक निवासी मौ० केतीपुरा नई बस्ती कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2- उ०नि० श्री मंजीत सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-उ०नि० श्री सत्यम कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-का० 129 दुष्यन्त कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 5-है०का० 339 राकेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 6-है०का० 491 रामकुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25.11.25

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 289/25 धारा 304(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस तथा वादिया से छीना हुआ एक मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.09.2025 को थाना बिनौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त वादिया का रियलमी मोबाइल फोन छीन कर भाग गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 289/25 धारा 304(2) BNS पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित चोरों/लूटेरे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 289/25 धारा 304(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तारी किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा वादिया से छीना हुआ एक रियलमी मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजकुमार पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 29 वर्ष



गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 409/23 धारा 63 आबकारी अधि० थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 158/22 धारा 323/354/509 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. मु०अ०सं० 88/24 धारा 380/511 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
4. मु०अ०सं० 289/25 धारा 304(2) /317(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
5. मु०अ०सं० 380/25 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- छीना हुआ एक रियलमी मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. है०का० 801 सावन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
7. का० 989 ललित कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

